

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/ 3341 /

जबलपुर, दिनांक 5 / 5 / 2025

II-14-155/24

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019 के आलोक में श्री सुशील कुमार वैद्य, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी (न्या.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को उनकी सेवानिवृत्त दिनांक 31/10/2024 पर पात्रता अनुसार 233 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
ds.

पृष्ठांकन क्रमांक C/ 3342 /

जबलपुर, दिनांक 5 / 5 / 2025

II-14-155/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ- इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 869/स्थापना/2025 इंदौर, दिनांक 18/03/2025 के संदर्भ में श्री सुशील कुमार वैद्य, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी (न्या.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर का गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
ds.